फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

बनवारी लाल बनाम गंगा देवी वगै0

मु0नं0 610 सन् 2022 जीसीएमएस नं.

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCMS-2022/77	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-2022	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली कैवियट प्रार्थना पत्र के साथ पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री सुरजभान पुनिया** एडवोकेट हाजिर। कैवियटकर्ता अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता **श्री रामनिवास यादव** को ईतला दी गई उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र की नकल दिलवायी गई। कैवियटकर्ता अधिवक्ता ने दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेंज पेश किये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुना जावें। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकुलाय को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता एवं प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों को देखते हुए तथा प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये जाने तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 470 अवस्थित ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विघुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक [illegible] करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं [illegible] करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट [illegible] प्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.11.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:32:13 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड नीमकाथाना

610/2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बनवारीलाल V/S गंगादेवी

2/5/24 पत्रावली प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना मिसल तलबी व प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने का पेश होने पर तलबक होकर पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अतः प्रकरण विड्रा किया जावे। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी को सुना गया एवं प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः प्रार्थना व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विड्रा की अनुमति के साथ स्वीकार किया जाता है पत्रावली कार्यवाही मिसल शुमार होकर बाद के जमा होकर दफ्तर दाखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

बनवारी पुत्र ... जवाहर
मुकेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:32:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner